न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 154/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

कुलवन्त कौर पत्नी श्री दारा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

....वादीया

–:: बनाम –::

1. सुखवीर कौर पुत्री श्री दारा सिंह पत्नी श्री अमरिन्द्र सिंह बराड़ जाति जटसिख निवासी अबुल खुराणा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब) ।
2. मनप्रीत कौर पुत्री श्री दारा सिंह पत्नी श्री जोध सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 7, मुख्य बस अड्डा के पीछे, संगरिया जिला हनुमानगढ
3. नवदीप कौर पुत्री दारा सिंह पत्नी श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 12 पी बी एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा वादी
अधिवक्ता श्री रोविन गुम्बर प्रतिवादी 1 ता 3
पैरोकार राज (प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.10.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादिया की पुत्रीयां है। वादीया के पति व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता दारा सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के नाम से वाके चक 3 वी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 53 की 2.137 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है । वादिया के पति का दिनांक 28.11.2020 को देहान्त हो चुका है। जिनके वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 सहित प्रथम श्रेणी के कुल 4 वारिसान हैं।वादिया के पति का मृत्यु प्रमाण व वारिसान का प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादिया के पति ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति का घरू बंटवारा वादिया के साथ करके वादिया को घरेलू बंटवारा में उक्त भूमि चक 3 वी छोटी छोटी के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 53 की कुल 2.137 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से किला नम्बर 2/1 की 0.228 है0 नहरी, किला नम्बर 2/2 की 0.025 है0 खाला, किला नम्बर 9, 12 व 19 की 0.759 है0 नहरी तथा किला नम्बर 22/1 की 0.063 है0 नहरी कुल 1.075 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दे दी थी तथा कब्जा भी उक्त भूमि का उसी समय वादिया को संभलवा दिया था, तब से वादिया उक्त भूमि पर काबिज चली आ रही है। वादीया के पति द्वारा वादीया को कहा हुआ था कि जब भी तुम चाहोगी, उक्त रकबा का तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए सक्षम कार्यालय में उपस्थित होकर सहमति से अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। इस विश्वास पर वादीया ने अपने हिस्सा में आए हुए उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है। दुर्भाग्यवश वादीया के पति का देहान्त हो गया। जिनके देहान्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पश्चात प्रतिवादीगण ने भी वादिया को विश्वास दिलाया था कि जब भी आप चाहोगी, हम हमति से भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। कुछ दिन पूर्व वादीया ने प्रतिवादीगण को घरू ट्वारानुसार सहमति से भूमि वादिया के नाम करवाने के लिए कहा, पहले तो वह टाल मटोल रते रहे तथा दिनांक 20.08.2024 को प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा मानने से इन्कार कर दिया ौर वादीया को सहमति से कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर देने से ाफ इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। यह कि चक 3 बी छोटी तहसील व जिला ीगंगानगर की कृषि भूमि माननीन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः वाद पत्र ाननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय ुल्क र अन्दर मियाद प्रस्तुत है । प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक क्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र हक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(1) चक 3 बी छोटी छोटी के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 53 की कुल 2.137 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से किला नम्बर 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला नम्बर 2/2 की 0.025 है० खाला, किला नम्बर 9, 12 व 19 की 0.759 है० नहरी तथा किला नम्बर 22/1 की 0.063 है0 नहरी कुल 1.075 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादीया कुलवन्त कौर पत्नी श्री दारा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

(2). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलिब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजूज व्यक्तियों ने वादीया एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा अब वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती हैं तथा कब्जा भी वादग्रस्त भूमि पर वादीया का चला आ रहा है तथा उक्त भूमि घरू बंटवारा में वादीया को प्राप्तशुदा है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर चक 3 बी छोटी छोटी के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 53 की कुल 2.137 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से किला नम्बर 2/1 की 0.228 है0 नहरी, किला नम्बर 2/2 की 0.025 है0 खाला, किला नम्बर 9, 12 व 19 की 0.759 है० नहरी तथा किला नम्बर 22/1 की 0.063 है0 नहरी कुल 1.075 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादीया कुलवन्त कौर पत्नी श्री दारा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मृतक दारा सिंह का नाम विलोपित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीया के नाम से दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2071 –2074 ग्राम 3 बी छोटी, पटवार क्षेत्र 9 जैड, भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 45/39 की प्रति पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, –39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178

आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 रआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के यम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार र वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक म्पति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार धिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा ो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। ारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 3 बी छोटी छोटी के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 53 की कुल 2.137 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से किला नम्बर 2/1 की 0.228 है0 नहरी, किला नम्बर 2/2 की 0.025 है0 खाला, किला नम्बर 9, 12 व 19 की 0.759 है० नहरी तथा किला नम्बर 22/1 की 0.063 है0 नहरी कुल 1.075 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादीया कुलवन्त कौर पत्नी श्री दारा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.10.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर